प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर, संतकबीर नगर, सीतापुर, सहारानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/PBI / 55 / 2017–18 / 9263-18   दिनांक 04 / 12 / 2017

विषय–प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की चिन्हित 20 इकाईयों में प्राईवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि नवजात शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से गंभीर रूप से जन्में नवजात शिशुओं को तत्काल पुनर्जीवित एवं उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने हेतु प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की चिन्हित 20 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित / संविदा बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राईवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों ऑन कॉल की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है।

प्रदेश के चयनित जनपदों की चिन्हित चिकित्सा इकाईयां सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 जहाँ LSCS आपरेशन किये जा रहे है एवं डिलेवरी लोड अधिक है, तथा नियमित / संविदा बालरोग विशेषज्ञ की इकाई में उपलब्धता नहीं है। इन जनपदों की इन चिकित्सा इकाईयों सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 में सीजेरियन के दौरान नवजात शिशुओं को पुनर्जीवित करने एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों में कार्यरत प्राइवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों से ऑनकॉल सेवा लिये जाने हेतु प्रतिकाल रू0 1,000.00 दर से माह में अधिकतम 10 (काल) केसों हेतु धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

01– प्राईवेट / निजी क्षेत्र में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–

- प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों से ऑन कॉल सेवा लिये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने जनपद की चिन्हित चिकित्सा इकाई की आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध प्राईवेट / निजी क्षेत्रों बालरोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल पर कार्य करने हेतु इच्छुक बालरोग विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तदपश्चात उनकी सूची को इम्पैनल कर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाये। इस पैनल में चयनित बालरोग विशेषज्ञों को सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दिया जाये।
- प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों से ऑन कॉल सेवा लिये जाने हेतु सीजेरियन सेक्शन किये जाने के 01 से 02 घन्टे पहले सूचित किया जाये।
- ऑन कॉल पर प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल रू0 1000.00 की दर से भुगतान किया जाये।

02– प्राईवेट / निजी क्षेत्र में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों की ऑन कॉल पर डियूटी का निर्वाहन –

- ऑन कॉल पर प्राईवेट / निजी क्षेत्रों में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ द्वारा गम्भीर नवजात शिशुओं को पुनर्जीवित करना एवं उचित उपचार करना।
- नवजात में जन्मजात विकृति की पहचान कर उचित सलाह देना / सन्दर्भित करना। अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 का दायित्व होगा कि जन्मजात विकृति होने पर नियमानुसार नवजात का इलाज सुनिश्चित करायें।
- अति गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशु को अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 के माध्यम से उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई जिला चिकित्सालय / सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) में उपचार हेतु सन्दर्भित किया जाये।

- जनपद में यह सुविधा चिन्हित सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

वित्त पोषण–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code B.30.7.2.m में प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की 20 चिन्हित प्रसव इकाईयों की सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 पर ऑनकॉल प्राइवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञ से ऑन कॉल की सेवा के लिये (प्रतिकाल रू0 1000.00 की दर से) दिये जाने हेतु धनराशि का अनुमोदन किया गया है।

प्राईवेट / निजी क्षेत्रों में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर सेवा लिये जाने हेतु प्रतिकाल रू0 1,000.00 की दर से प्रति माह अधिकतम 10 (काल) केसों हेतु 06 माह के लिये प्रति इकाई रू0 60,000.00 की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

Honorarium for On call Private Peadiatrician year 2017-18

Sl. No.	Name of District	No. of Unit	Name of facility	Unit Cost (Rs.)	Case per month	Months	Mission funds released to
			FMR Code	B.30.7.2.m			DHS (Amount in Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra	1	CHC Kirawali	1000	10	6	60000.00
2	Allahabad	1	CHC Soraon	1000	10	6	60000.00
3	Amethi	1	CHC Amethi	1000	10	6	60000.00
4	Aligarh	1	CHC Atrauli	1000	10	6	60000.00
5	Bareilly	1	CHC Fareedpur	1000	10	6	60000.00
6	Firozabad	1	CHC Tundla	1000	10	6	60000.00
7	Hardoi	1	CHC Sandila	1000	10	6	60000.00
8	Kasganj	1	DWH Kasganj	1000	10	6	60000.00
9	Kaushambi	1	CHC Sirathu	1000	10	6	60000.00
10	Lucknow	1	CHC BKT	1000	10	6	60000.00
		1	CHC Kakori	1000	10	6	60000.00
11	Mathura	1	CHC Farah	1000	10	6	60000.00
12	Mau	1	CHC Ghosi	1000	10	6	60000.00
13	Pilibhit	1	CHC Puranpur	1000	10	6	60000.00
14	Pratapgarh	1	CHC Kunda	1000	10	6	60000.00
		1	CHC Lalganj	1000	10	6	60000.00
15	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	1	Sant Ravidas Nagar	1000	10	6	60000.00
16	Sant Kabir Nagar	1	CHC Haisar Bazar	1000	10	6	60000.00
17	Sitapur	1	CHC Sidhauli	1000	10	6	60000.00
18	Saharanpur	1	CHC Gangoh	1000	10	6	60000.00
Grand Total (in Rs.)		**20**					**1200000.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवमुक्त की जा रही धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय निर्देश–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की चिन्हित इकाई के **अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, सी0एच0सी0/एफ0आर0यू0 पर बालरोग विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- किसी भी दशा में ऑन कॉल बालरोग विशेषज्ञों की धनराशि चिन्हित इकाईयों के अतिरिक्त इकाईयों पर देय नहीं होगी जहाँ नियमित/संविदा बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।
- ऑन कॉल की धनराशि का भुगतान **अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, सी0एच0सी0/एफ0आर0यू0 द्वारा नियमानुसार किया जायेगा तथा भुगतान का केस रिकार्ड अडिट हेतु सुरक्षित रखा जाये।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

ऑन कॉल हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा किसी अन्य जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/PBI / 55 / 2017–18 दिनांक /11/2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **महानिदेशक**, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश।
2. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
3. **सम्बन्धित मण्डलीय,** अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. **अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई, **जनपद–** (आगरा–किरावली), (इलाहाबाद–सोरोन), (अमेठी–अमेठी), (अलीगढ़–अतरौली), (बरेली–फरीदपुर), (फिरोजाबाद–टुडंला), (हरदोई–संडीला), (कासगंज–कासगंज), (कौशाम्बी–सिराथु), (लखनऊ–बक्सी का तालाब एवं काकोरी), (मथुरा–फराह), (मऊ–घोसी), (पीलीभीत–पुरनपुर), (प्रतापगढ़–कुण्डा एवं लालगंज), (संतरविदास नगर–संतरविदास नगर), (संतकबीर नगर–हैसर बाजार), (सीतापुर–सिंधौली), (सहारनपुर–गंगोह)।
6. **सम्बन्धित जनपदीय** कार्यक्रम प्रबधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. **सम्बन्धित मण्डलीय** कार्यक्रम प्रबधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बालस्वास्थ्य

ऑन कॉल बालरोग विशेषज्ञ हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र

जनपद का नाम–

एफ0आर0यू0 / सी0एच0सी0 का नाम–

जन्म के समय बच्चे की स्थिति सामान्य / कम वजन (जो भी हो ✓ लगायें)

क्र0म0	उपचारित किये गये बच्चे की माँ / पिता का नाम	लिंग पु0 / म0	जन्म की तिथि	जन्म का स्थान	असामान्य		जन्म के समय बच्चें में जटिलता	बच्चे को उचारित किये गये प्राईवेट बालरोग विशेषज्ञ का नाम	मोबाईल न0
					समय से पूर्व जन्में बच्चे	कम वजन वाले बच्चे (2500 ग्राम से कम)			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलैक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर, संतकबीर नगर, सीतापुर, सहारानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/PBI / 55 / 2017–18 दिनांक 04 / 12 / 2017

विषय–प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की चिन्हित 20 इकाईयों में प्राईवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि नवजात शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से गंभीर रूप से जन्में नवजात शिशुओं को तत्काल पुनर्जीवित एवं उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने हेतु प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की चिन्हित 20 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित / संविदा बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राईवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों ऑन कॉल की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है।

प्रदेश के चयनित जनपदों की चिन्हित चिकित्सा इकाईयां सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 जहाँ LSCS आपरेशन किये जा रहे है एवं डिलेवरी लोड अधिक है, तथा नियमित / संविदा बालरोग विशेषज्ञ की इकाई में उपलब्धता नहीं है। इन जनपदों की इन चिकित्सा इकाईयों सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 में सीजेरियन के दौरान नवजात शिशुओं को पुनर्जीवित करने एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों में कार्यरत प्राइवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञों से ऑनकॉल सेवा लिये जाने हेतु प्रतिकाल रू0 1,000.00 दर से माह में अधिकतम 10 (काल) केसों हेतु धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

<u>01– प्राईवेट / निजी क्षेत्र में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–</u>

- प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों से ऑन कॉल सेवा लिये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने जनपद की चिन्हित चिकित्सा इकाई की आस–पास के क्षेत्रों में उपलब्ध प्राईवेट / निजी क्षेत्रों बालरोग विशेषज्ञ को ऑन कॉल पर कार्य करने हेतु इच्छुक बालरोग विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तदपश्चात उनकी सूची को इम्पैनल कर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाये। इस पैनल में चयनित बालरोग विशेषज्ञों को सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दिया जाये।
- प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों से ऑन कॉल सेवा लिये जाने हेतु सीजेरियन सेक्शन किये जाने के 01 से 02 घन्टे पहले सूचित किया जाये।
- ऑन कॉल पर प्राईवेट / निजी क्षेत्रों के बालरोग विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल रू0 1000.00 की दर से भुगतान किया जाये।

<u>02– प्राईवेट / निजी क्षेत्र में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों की ऑन कॉल पर डियूटी का निर्वाहन –</u>

- ऑन कॉल पर प्राईवेट / निजी क्षेत्रों में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ द्वारा गम्भीर नवजात शिशुओं को पुनर्जीवित करना एवं उचित उपचार करना।
- नवजात में जन्मजात विकृति की पहचान कर उचित सलाह देना / सन्दर्भित करना। अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 का दायित्व होगा कि जन्मजात विकृति होने पर नियमानुसार नवजात का इलाज सुनिश्चित करायें।
- अति गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशु को अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 के माध्यम से उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई जिला चिकित्सालय / सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) में उपचार हेतु सन्दर्भित किया जाये।

- जनपद में यह सुविधा चिन्हित सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

वित्त पोषण–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 के FMR Code B.30.7.2.m में प्रदेश के चयनित 18 जनपदों की 20 चिन्हित प्रसव इकाईयों की सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 पर ऑनकॉल प्राइवेट / निजी क्षेत्र के बालरोग विशेषज्ञ से ऑन कॉल की सेवा के लिये (प्रतिकाल रू0 1000.00 की दर से) दिये जाने हेतु धनराशि का अनुमोदन किया गया है।

प्राईवेट / निजी क्षेत्रों में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर सेवा लिये जाने हेतु प्रतिकाल रू0 1,000.00 की दर से प्रति माह अधिकतम 10 (काल) केसों हेतु 06 माह के लिये प्रति इकाई रू0 60,000.00 की धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

Honorarium for On call Private Peadiatrician year 2017-18

Sl. No.	Name of District	No. of Unit	Name of facility	Unit Cost (Rs.)	Case per month	Months	Mission funds released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code	B.30.7.2.m			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra	1	CHC Kirawali	1000	10	6	60000.00
2	Allahabad	1	CHC Soraon	1000	10	6	60000.00
3	Amethi	1	CHC Amethi	1000	10	6	60000.00
4	Aligarh	1	CHC Atrauli	1000	10	6	60000.00
5	Bareilly	1	CHC Fareedpur	1000	10	6	60000.00
6	Firozabad	1	CHC Tundla	1000	10	6	60000.00
7	Hardoi	1	CHC Sandila	1000	10	6	60000.00
8	Kasganj	1	DWH Kasganj	1000	10	6	60000.00
9	Kaushambi	1	CHC Sirathu	1000	10	6	60000.00
10	Lucknow	1	CHC BKT	1000	10	6	60000.00
		1	CHC Kakori	1000	10	6	60000.00
11	Mathura	1	CHC Farah	1000	10	6	60000.00
12	Mau	1	CHC Ghosi	1000	10	6	60000.00
13	Pilibhit	1	CHC Puranpur	1000	10	6	60000.00
14	Pratapgarh	1	CHC Kunda	1000	10	6	60000.00
		1	CHC Lalganj	1000	10	6	60000.00
15	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	1	Sant Ravidas Nagar	1000	10	6	60000.00
16	Sant Kabir Nagar	1	CHC Haisar Bazar	1000	10	6	60000.00
17	Sitapur	1	CHC Sidhauli	1000	10	6	60000.00
18	Saharanpur	1	CHC Gangoh	1000	10	6	60000.00
Grand Total (in Rs.)		**20**					**1200000.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवमुक्त की जा रही धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों सी0एच0सी0 / एफ0आर0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय निर्देश–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की चिन्हित इकाई के **अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,** सी0एच0सी0/एफ0आर0यू0 पर बालरोग विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- किसी भी दशा में ऑन कॉल बालरोग विशेषज्ञों की धनराशि चिन्हित इकाईयों के अतिरिक्त इकाईयों पर देय नहीं होगी जहाँ नियमित/संविदा बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।
- ऑन कॉल की धनराशि का भुगतान **अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,** सी0एच0सी0/एफ0आर0यू0 द्वारा नियमानुसार किया जायेगा तथा भुगतान का केस रिकार्ड अडिट हेतु सुरक्षित रखा जाये।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

ऑन कॉल हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट **एक सप्ताह के अन्दर** मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com पर **संलग्न प्रारूप** पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा किसी अन्य जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

9263-18 (8)

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/PBI / 55 / 2017–18 दिनांक / 11 / 2017

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **महानिदेशक**, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश।
2. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
3. **सम्बन्धित मण्डलीय,** अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. **अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्रथम संदर्भन इकाई, **जनपद**– (आगरा–किरावली), (इलाहाबाद–सोरोन), (अमेठी–अमेठी), (अलीगढ़–अतरौली), (बरेली–फरीदपुर), (फिरोजाबाद–टुडंला), (हरदोई–संडीला), (कासगंज–कासगंज), (कौशाम्बी–सिराथु), (लखनऊ–बक्सी का तालाब एवं काकोरी), (मथुरा–फराह), (मऊ–घोसी), (पीलीभीत–पुरनपुर), (प्रतापगढ़–कुण्डा एवं लालगंज), (संतरविदास नगर–संतरविदास नगर), (संतकबीर नगर–हैसर बाजार), (सीतापुर–सिंधौली), (सहारनपुर–गंगोह)।
6. **सम्बन्धित जनपदीय** कार्यक्रम प्रबधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. **सम्बन्धित मण्डलीय** कार्यक्रम प्रबधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3 / 258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बालस्वास्थ्य